

2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(7) Training/ICDS/16/

109263
कार्यालय आदेश

जयपुर दिनांक

12.8.16

वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रशिक्षण के तहत महिला पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि नामांकित पर्यवेक्षकों को मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश देने का श्रम करे। इस संबंध में निम्न निर्देशों का ध्यान रखा जावे। (प्रशिक्षण की अवधि 02.10.2016 से 08.10.2016 तक है) :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नहीं भेजा जावे।
2. यदि नामांकित पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से बचने हेतु मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे तो उस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच कराई जावे।
3. पर्यवेक्षक को यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर ही किया जावेगा।
4. पर्यवेक्षक के आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध होगी।
5. किसी अन्य प्रशिक्षण के कारण से पर्यवेक्षक को इस प्रशिक्षण में जाने से नहीं रोका जावे।
6. यदि कोई पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में बगैर युक्ति-युक्त कारणों के अनुपस्थित रहती है, तो उनके विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रशिक्षण में कम उपस्थिति पर संबंधित उपनिदेशक की जिम्मेदारी होगी।
8. यदि नामांकित पर्यवेक्षक आपकी परियोजना में कार्यरत नहीं है तो संबंधित परियोजना को स्वयं के स्तर पर सूचित करे। साथ ही यदि किसी पर्यवेक्षक का नाम दुबारा नामित हो गया है तो उसकी जगह जिले से किसी अन्य पर्यवेक्षक को नामित करें।
9. प्रशिक्षणार्थी पर्यवेक्षक के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रु. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रु. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगा।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(7) Training/ICDS/16/

109264-283

जयपुर दिनांक

12.8.16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....को भेजकर लेख है प्रशिक्षण में नामांकित पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण में भिजवाये, यदि पर्यवेक्षक ने स्थानान्तरण होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो उनके पुराने पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेशों को भिजवाते हुये उन्हें सूचित करें।
3. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर।

मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में दिनांक 02.10.2016. से 08.10.2016 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षकों की सूची :-

क्र. सं.	नाम पर्यवेक्षक	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	रश्मि देवल	गोविन्दगढ	जयपुर
2.	मंजू गुप्ता	गोविन्दगढ	जयपुर
3.	संगीता शर्मा	झालरापाटन	झालावाड
4.	भगवती यादव	झालरापाटन	झालावाड
5.	दीपिका पूनिया	अलसीसर	झुंझुनू
6.	संजू कालेर	नवलगढ	झुंझुनू
7.	शमीम बानो	सुल्तानपुर	कोटा
8.	माया मीना	लाडपुरा	कोटा
9.	प्रतिभा कुमारी	रतननगर	चूरु
10.	कंचन शर्मा	तारानगर	चूरु
11.	आरती यादव	आमेर	जयपुर
12.	प्रियंका मीणा	आमेर	जयपुर
13.	अनिता कटारिया	सूरतगढ	गंगानगर
14.	सुशीला देवी	करणपुर	गंगानगर
15.	विमला शर्मा	नीम का थाना	सीकर
16.	सोनिया यादव	नीम का थाना	सीकर
17.	भगवती सेन	खण्डेला	सीकर
18.	सरोज सेहरा	फतेहपुर ग्रामीण	सीकर
19.	कृष्णा देवी	धौलपुर शहर	धौलपुर
20.	सुधा सोनी	श्रीमाधोपुर	सीकर
21.	वंदना शर्मा	बैराठ	जयपुर
22.	भारती लोदी	धौलपुर ग्रामीण	धौलपुर
23.	संतोष राठौड	देवली	टोंक
24.	नीलम मीणा	निवाई	टोंक
25.	विजेता चॉवरिया	टोंक शहर	टोंक